भारतीय मानक ब्यूरो

<u>(डीएलबीओ-1)</u>

प्रेस रिलीज

भारतीय मानक ब्यूरो ने छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) ने 22 जून 2017 को नई दिल्ली में मैसर्स दया टिम्बर्स, वी-443, मेन यमुना विहार रोड, विजय पार्क, मौजपुर, दिल्ली-110053 पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो के फर्ज़ी चिन्ह वाले प्लाईवुड की बिक्री कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 11(1) का उल्लंघन है। भामाब्यूरो अधिनियम के अनुसार भामाब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना मुहर का उपयोग या इसकी नकल दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 50,000/- रुपए का जुर्माना अथवा/और एक वर्ष की सजा हो सकते हैं।

PRESS RELEASE

BIS raids Plywood Trading Unit

Bureau of Indian Standards (BIS) conducted enforcement raid at M/S Daya Timbers,
V-443, Main Yamuna Vihar Road, Vijay Park, Maujpur, Delhi-110053. The firm was trading Plywood with spurious BIS logo, violating Section 11 (1) of BIS Act, 1986 under which there is a provision of fine of Rs. 50,000/- and/or one year imprisonment.